संख्या-32/2024/पी-238/001-38 9002 001 2 2023

प्रेषक,

अजय कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2024**

विषय:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-2 के अन्तर्गत रिसर्फेसिंग/रिन्यूवल सड़कों के अनुरक्षण हेतु धनराशि को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-685/एफ-बजट/यूपीआरआरडीए/2023-24, दिनांक 29.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पीएमजीएसवाई फेज-2 के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के सामान्य अनुरक्षण उपरान्त रिसर्फेसिंग/रिन्यूवल कार्य पूर्ण कर चुकी सड़कों के आगामी 05 वर्षों तक सामान्य अनुरक्षण (Post Defect Liability Period) हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानक मद-29-अनुरक्षण के अन्तर्गत रू0 65.3697 करोड़ की धनराशि को स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के सामान्य अनुरक्षण उपरान्त रिसर्फेसिंग/रिन्यूवल कार्य पूर्ण कर चुकी सड़कों के आगामी 05 वर्षों तक सामान्य अनुरक्षण (Post Defect Liability Period) हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 65.3697 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रुप में 25 प्रतिशत की धनराशि रू0 16,34,24,000 (रुपये सोलह करोड़ चौंतीस लाख चौबीस हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइडलाइन्स पीएमजीएसवाई-II के पैरा-8.2 के अनुसार राज्यों से प्रस्तावित सड़कों के अनुरक्षण के लिए यह प्रावधानित है कि निर्माण के बाद 5 साल तक नियमित अनुरक्षण के लिए निर्माण ठेकेदार के साथ एक समग्र अनुबंध किया जायेगा जिसमें उक्त अवधि के बाद नवीनीकरण, उक्त अवधि में नियमित अनुरक्षण तथा बैलेन्स लाइफ सर्किल के लिए एक और अपग्रेडेशन का पालन सुनिश्चित किया जाना है। उक्त गाइडलाइन के पैरा-17.2 के अनुसार पीएमजीएसवाई की सभी सड़कों (पीएमजीएसवाई लिंक रूटों से सम्बद्ध मुख्य ग्रामीण लिंक/थ्रूरूट सहित) के लिए मानक बोली दस्तावेज के अनुसार एक ही ठेकेदार के साथ निर्माण संविदा के साथ 05 वर्षीय अनुरक्षण करार सम्पन्न किया जायेगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करते हुए अपितु प्रकरण में आवश्यकता व औचित्य के सम्बन्ध में संतुष्ट होते हुए नियमानुसार ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रुप से उपलब्ध है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(6) योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व विभाग का होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइडलाइन्स/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(11) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,34,24,000 (रुपये सोलह करोड़ चौंतीस लाख चौबीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 3054041050301 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-2-62-X-2024-25-दिनांक:12-8-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-32/2024/पी-238(1)/001-38 9002 001 2 2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

7- श्री राजेन्द्र राम (नोडल अधिकारी), संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वित्तीय स्वीकृतियों को उ0प्र0 बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने तथा आनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम में प्रविष्टि करने हेतु।

8- ग्राम्य विकास अनुभाग-03, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।